

10

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शीपेत भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

सं० 488-असै-17/पा०ताले/2005-11.4.एफ/96 वा लूग-1 दि० 03 फरवरी 05

कार्यालय झाप

एतद्वारा उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० एवं उ० प्र० जल विद्युत निगम लि० लि० लि० द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों को नोर्तेग होम को छोड़कर, में उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यों द्वारा उपचार कराये जाने का दवा में उनके उपचार पर हुए व्यय का प्रतिपूर्ति, चिकित्सा सम्बन्धी सामान्य निधनों के अन्तर्गत अनुमति फिरे जाने का कारपोरेशन द्वारा तहजी अनुमति प्रदान का जाता है ।

निदेशक कार्यालय प्रान्थन एवं प्रशासन

सं० 488-1-असै-17/पा०ताले/2005 तददिनांक 3/2/05

प्रतिलोपे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. मा० उर्जा मंत्रा उ० प्र० शासन के निजा साचिव।
2. प्रमुख साचिव उर्जा, उ० प्र० शासन, लखनऊ
3. प्रबन्ध निदेशक, अध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा
4. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉय साचिव, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
5. तमस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता जल विद्युत/पावर जल उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
6. तमस्त वारेण्ट कार्यालय अधिकारी/कार्यालय अधिकारी, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
7. निदेशक कार्यालय उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० लखनऊ
8. निदेशक कार्यालय उ० प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ
9. तमस्त उपमहाप्रबन्धक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
10. तमस्त अनुभाग अधिकारी/निजा साचिव, प्रशासनात्मक एवं लेखा स्कन्ध, शीपेत भवन, लखनऊ
11. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शीपेत भवन, लखनऊ
12. साचिव, विद्युत पेशनर्त पारेजद लखनऊ
13. कट काइल।

आज्ञा से,

हरि प्रकाश मिश्रा
कार्यालय अधिकारी